

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2055/2010/जयपुर

मैसर्स रतनदास गुप्ता एण्ड कम्पनी,
240 ब्रह्मपुरी, जयपुर
बनाम

...अपीलार्थी

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
कॉण्टेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग प्रथम, जयपुर

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री रमेश गुप्ता, अभिभाषक
श्री एन.के. बेद
उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक : 05.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 76/अपील्स-चतुर्थ/2009-10/एफ में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 16.07.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कॉण्टेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003, (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेश दि. 26.03.2009 के द्वारा कायम मांग राशि रु 5,74,966/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार किया गया जिसको इस अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि का वैट ऑडिट रिपोर्ट एवं वैट-10 प्रपत्र पेश किये जाने के बाद आंशिक जांच करने के पश्चात् कर निर्धारण पारित किया जिसमें अपीलार्थी-व्यवहारी की ओर से आलोच्य अवधि के दौरान अवार्डर वैभव जैम्स एवं बेक ऑफिस आई.टी सोल्यूशन प्रा.लि., जयपुर से संविदा कार्य प्राप्त कर निष्पादित किये। अपीलार्थी-व्यवहारी ने संविदा कार्य निष्पादन के फलस्वरूप राशि रूपये 2,47,07,843/- का भुगतान प्राप्त किया है जिसे निर्धारण अधिकारी ने वैट ऑडिट रिपोर्ट एवं दस्तावेजों से सत्यापित माना। अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा उक्त प्राप्त राशि के संबंध में व्यापार खाता प्रस्तुत किया जिसमें राशि रूपये 1,13,53,504/- का वैट चुका कर माल संविदा कार्य निष्पादन हेतु खरीद करना दर्शाया गया है। अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा उक्त खरीद में से राशि रूपये 57,80,432/- की खरीद 12.5 प्रतिशत से वैट चुका कर क्रय किया है तथा राशि रूपये 55,73,072/- की खरीद पर 4 प्रतिशत से वैट चुका कर क्रय किया है। अपीलार्थी-व्यवहारी ने इसके अतिरिक्त राशि रूपये 29,69,630/- की खरीद कम्पोजीशन के तहत की है। उक्त खरीद में से राशि रूपये 19,83,909/- की खरीद 4 प्रतिशत कर चुकाकर की गई खरीद में तथा राशि रूपये 9,85,721/- की खरीद 12.5 प्रतिशत कर चुकाकर की गई खरीद में शामिल किया। राशि रूपये 8,18,400/- की खरीद कैजुअल कमोडिटी की है जिसे 12.5 प्रतिशत कर चुकाकर की गई खरीद में जोड़कर निर्धारण अधिकारी ने आउटपुट टैक्स का निर्धारण इस प्रकार किया:-

लगातार.....2

खरीद राशि	ट्रांसपोर्टेशन 6 प्रतिशत	लाभांश 8 प्रतिशत	कुल राशि	प्रतिशत	कुल कर
75,84,553/-	4,55,973/-	6,06,764/-	86,46,390/-	12.5	10,80,799/-
75,56,981/-	4,53,419/-	6,04,558/-	86,14,958/-	4	3,44,598/-
कुल आउटपुट					14,25,397/-

3. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में वैट चुका खरीद के समर्थन में इनपुट टैक्स क्लेम राशि रूपये 8,80,496/- का चाहा गया जिसके बारे में निर्धारण अधिकारी ने यह उल्लेख किया कि उक्त राशि का क्लेम बाद सत्यापन दिया जाएगा। अपीलार्थी-व्यवहारी ने आलोच्य अवधि के दौरान राशि रूपये 1,95,348/- की कटौती स्त्रोत पर अग्रिम कर के रूप में अवार्डर द्वारा की जाकर राजकोष में जमा करवाना बतलाई जिसके समर्थन में अपीलार्थी-व्यवहारी ने वैट-41 पेश कर समायोजन चाहा जिसका निर्धारण अधिकारी ने उक्त राशि का सत्यापन आर.सी.आर से हो जाने के बाद अपीलार्थी-व्यवहारी को समायोजन दे दिया। अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा उक्त कर पेटे राशि राजकोष में कम जमा कराई जिस पर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 55 के तहत 25 माह का ब्याज रूपये 87,388/- आरोपित करते हुए कुल करदेयता यपये 15,12,785/- में से समायोजनीय जमा राशि रूपये 1,95,348/- को कम करते हुए बकाया राशि रूपये 13,17,437/- की मांग कायम की। निर्धारण अधिकारी ने उक्त आदेश को संशोधित करते हुए आदेश दिनांक 25.05.2009 के द्वारा अपीलार्थी-व्यवहारी पर वसूली योग्य आउटपुट रूपये 6,55,321/- कम की जाकर वसूली योग्य मांग राशि रूपये 5,74,966/- कायम की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी ने आलोच्य अवधि में धारा 3(2) के तहत कम्पोजीशन डीलर से 12.5 प्रतिशत कर चुकाकर क्य किये गये माल रूपये 9,85,729/- एवं 4 प्रतिशत कर चुकाकर क्य किये गये माल रूपये 19,83,909/- कुल रूपये 29,69,630/- का माल खरीद कर संविदा कार्य में प्रयुक्त किया है। निर्धारण अधिकारी ने इस माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकृत नहीं किया। अपीलार्थी ने वैट-10 में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया। निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को वक्त निर्धारण कोई नोटिस नहीं दिया तथा इस खरीद पर आउटपुट आरोपित कर दिया जो विवादित नहीं है परन्तु इस खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुपातिक रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलार्थी ने पंजीकृत व्यापारियों से माल खरीदा है जिसकी सूची निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी है तथा उन पंजीकृत व्यापारियों ने वैट डीलर से माल खरीदा है जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी अनुपातिक रूप से इस खरीद किये गये माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी पर रूपये 8,18,400/- की केजुअल कमोडिटी की खरीद पर भाड़ा + लाभांश जोड़कर आउटपुट कायम किया है जो सही होने से विवादित नहीं है परन्तु इन केजूअल कमोडिटी

लगातार.....3

पर माल के परिवहन के दौरान अपीलार्थी ने विभागीय चैकपोस्ट ठेकेदारों को कर चुकाया है जिसकी विभागीय ठेकेदार द्वारा स्वयं की छपाई हुई रसीदें जो जारी की हैं, उनका वैट समायोजन कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को नहीं दिया है जिसकी रसीदों की राशि रूपये 34,560/- है। अपीलार्थी ने इसकी सूची तथा रसीदें निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी मगर निर्धारण अधिकारी ने इसके बावजूद इस राशि का समायोजन नहीं दिया जो अविधिक है।

7. विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी पर रूपये 1,14,993/- ब्याज जो आरोपित किया है वह अविधिक है क्योंकि अपीलार्थी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम्पोजीशन डीलर से खरीद किये गये माल से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम का समायोजन कर दिया जाता तो निश्चित रूप से ब्याज आरोपित किये जाने योग्य नहीं होता। निर्धारण अधिकारी ने पारित आदेश में अपीलार्थी द्वारा वैट डीलर से वैट इनवाईस द्वारा खरीद किये गये माल पर वैट सहित खरीद राशि में 6 प्रतिशत यातायात + 8 प्रतिशत लाभांश जोड़कर आउटपुट कायम किया जो अविधिक है जबकि शुद्ध खरीद राशि में 6 प्रतिशत यातायात + 8 प्रतिशत लाभांश जोड़कर ही करारोपण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार वैट राशि रूपये 6,38,518/- में 6 प्रतिशत भाड़ा रूपये 38,311/- + 8 प्रतिशत लाभांश रूपये 51,081/- जोड़ते हुए कुल रूपये 7,27,907/- पर 12.5 प्रतिशत से रूपये 90,899/- एवं वैट राशि रूपये 2,03,578/- पर 6 प्रतिशत भाड़ा रूपये 12,815/- + 8 प्रतिशत लाभांश रूपये 17,086/- जोड़ते हुए कुल रूपये 2,43,479/- पर 4 प्रतिशत से रूपये 9,739/-, कुल योग रूपये 1,00,727/- का जो आउटपुट कायम किया है वह अविधिक है तथा इस राशि में कम जमा मानकर आरोपित किया गया ब्याज जो कुल ब्याज रूपये 1,14,993/- में रूपये 7,156/- शामिल है भी अविधिक आरोपित किया है।

8. विद्वान अभिभाषक कथन किया कि अपीलार्थी ने वैट इनवाईस में खरीद किये गये माल की इनपुट टैक्स क्रेडिट रूपये 8,80,496/- का क्लेम किया था उसमें से निर्धारण अधिकारी ने रूपये 6,23,389/- का क्लेम स्वीकार किया तथा शेष क्लेम रूपये 2,65,107/- का इनपुट टैक्स अस्वीकार कर दिया जो अविधिक है। अतः उन्होंने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

9. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सक्षक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विस्तृत तौर पर दिया गया है जिसमें सभी तथ्य एवं कानूनी बिन्दुओं का वर्णन स्पष्ट तौर पर किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुख्य तौर पर निम्न बिन्दुओं पर विनिश्चयीकरण चाहते हुए अपीलीय आदेश में अनुतोष मांगा गया है :—

1. राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों जो अधिनियम की धारा 3(2) अथवा 5 के तहत कर देयता का विकल्प लेकर कर का वहन कर रहे हैं, से कीत माल पर आगत कर का समायोजन दिया जावे।
2. राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से कर चुकाकर कीत माल पर पूर्ण आगत कर नहीं दिया गया है।
3. आक्रमिक वस्तुओं पर चैक पोस्ट पर चुकायी गई राशि का समायोजन नहीं दिया गया है, जो दिया जावे।

4. पंजीकृत व्यवहारियों से कीत माल का विनियोग संविदा कार्य में किया गया परन्तु इन्वॉयस में अंकित विक्रय राशि में किराया व लाभांश जोड़कर निर्गत कर का निर्धारण अनुचित तौर पर किया गया है क्योंकि उक्त माल सेज से संबंधित संविदा कार्य में प्रयुक्त हुआ है। जिस पर अनुतोष दिया जावे।

अधिनियम की धारा 18(3) का मूल पाठ इस प्रकार है :-

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases,-

(i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or

(ii) of goods made in the course of import from outside the State; or

(iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or here is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or

(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or

(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

(4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.

राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 के नियम 18 का मूल पाठ इस प्रकार है:-

18. Computation of input tax credit:- (1) The extent of input tax credit available to a registered dealer, for a tax period, shall be equal to the amount of tax paid on purchases in the State as evident from the Original VAT invoice, and where such invoice has been lost or destroyed, on the basis of duplicate copy thereof issued to him in accordance with sub-rule (4) of rule 38, subject to the other provisions of this rule and the following conditions:-

(a) that such dealer has maintained a true and correct separate account of his purchases against VAT invoices in Form VAT-07.

(b) that such dealer has maintained a true and correct separate account of his sales in Form VAT-08.

11. उपरोक्त विहित प्रावधानों के आलोक में राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों, जो अधिनियम की धारा 3(2) अथवा 5 के तहत कर देयता का विकल्प लेकर कर का वहन कर रहे हैं, से कीत माल पर आगत कर का समायोजन दिये जाने संबंधित तथ्य है वह अनुचित है क्योंकि अधिनियम की धारा 18(3)(i) में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे व्यवहारियों से खरीद पर आगत कर देय नहीं होगा अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।


12. जहां तक राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से कर चुकाकर कीत माल पर पूर्ण आगत कर नहीं दिया गया है। इस संबंध में अपीलीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये थे कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत वेट 07 में उल्लेखित खरीद की संबंधित व्यवहारियों से जांच करके इस संबंध में पुनः विधिसम्मत निर्णय दिया जावे तथा अपीलार्थी व्यवहारी को 2,65,107/- रुपये की राशि का यदि राजकोष में जमा का सत्यापन पाया जाता है तो समायोजन दिया जाकर आदेश प्रारित किया जावे। चूंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुतोष प्रदान कर दिया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. जहां तक आकस्मिक प्रस्तुओं पर चैक पोस्ट पर चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का तथ्य है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आगत कर का लाभ धारा 18 के प्रावधानों के अनुरूप ही दिया जा सकता है तदनुरूप वैट इन्वायस नहीं होने एवं उक्त राशि खरीद पर कर मुक्ति शुल्क होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी के लिये समायोजन योग्य नहीं है। उक्त प्रतिपादन माननीय कर बोर्ड ने (2015) 43 टैक्स अपडेट पृष्ठ 79 में भी किया है अतः इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

14. जहां तक चौथे बिन्दु में मांगे गये अनुतोष का प्रश्न है इस पर भी कर निर्धारण अधिकारी ने अपने संशोधन आदेश दिनांक 25.05.2009 द्वारा आंशिक रूप से 18,423/- रुपये निर्गत कर कम कर दिया गया है तथापि अपीलीय अधिकारी ने 82,304/- रुपये का निर्गत कर को अपास्त कर दिया था एवं ब्याज पर पुनः गणना करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

15. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


5.4.2012
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष